न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

-(पीठासीन अधिकारीः–रामचन्द्र, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–358/2022/39(क)(1) दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908(2022/358)

1. श्रीमती जोरा देवी पत्नी श्री मूलाराम जी, उम्र 60 वर्ष, जाति जाट, निवासी–घसवा की ढाणी, सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला अजमेर।
2. मूलाराम पुत्र श्री सुखाराम, जाति जाट, उम्र 65 वर्ष, निवासी ग्राम घसवा की ढाणी सुरसुरा, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

अपीलांट्स

बनाम

1. गोविन्दराम पुत्र अमरचंद, उम्र बालिग, जाति जाट।
2. जगदीश पुत्र अमराराम, उम्र बालिग, जाति जाट, अप्रार्थी संख्या–1 से 2 निवासी– ग्राम घसवों की ढाणी, सुरसुरा, तहसील रूपनगढ, जिला, अजमेर, राजस्थान।
3. राजस्थान राज्य जरिए तहसीलदार, तहसील रूपनगढ जिला अजमेर।

रेस्पोडेंट्स

प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 39 (क) (1) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908.

उपस्थितः–

1. श्री तुलवीर सिंह चौहान, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री गोविन्द शर्मा अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 03

निर्णय

दिनांकः– 04.12.2024

1. यह प्रार्थना पत्र न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 188/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि एक राजस्व अपील संख्या–188/2022 उनवान श्रीमती जोरादेवी वगैराह बनाम उगमाराम वगैराह अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रार्थीगण के द्वारा विरूद्ध रेस्पोडेंट संख्या 1 से 30 के विरूद्ध दिनांक 04.07.2022 को प्रस्तुत की गई थी। न्यायालय ने दिनांक 12.7.2022 को अपीलार्थीगण की अपील सुनवाई हेतु स्वीकार कर निम्न आदेश रेस्पोडेंट संख्या 1 से 30 के विरूद्ध पारित किया था। अतः स्थगन आदेश दिए जाते है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपनगढ के आदेश दिनांक 22.6.2022 प्रकरण संख्या 23/2022, श्रीमती जोरा देवी व अन्य बनाम उगमाराम व अन्य में अंकित विवादित आराजी की आगामी पेशी दिनांक 17.8.2022 तक मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाई रखी जाती है। अतः प्रार्थना पत्र

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 188/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 से असंतुष्ट होकर प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने दौराने बहस/प्रार्थना पत्र में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पद क्रमांक 2 में वर्णित न्यायालय के आदेश से रेस्पोडेंट संख्या 1 से 5, 12, 16 से 18, 20 से 22 की ओर से अभिभाषक श्री सुनील होनोतिया के जरिए अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी गई थी। उक्त आदेश की दिनांक 01.11.2022 तक अवधि बढा दी गई थी। जिससे अप्रार्थी संख्या 01 गोविन्दराम व अप्रार्थी संख्या 2 जगदीश भलीभांति अवगत थे। दिनांक 30.10.2022 को अप्रार्थी संख्या 1 व 2 शाम लगभग 4.40 पी0एम0 के ट्रेक्टर संख्या में मिट्टी पत्थर भरकर लाए तथा अपील में वर्णित आराजी जो कृषि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसका आवासीय प्रयोजन हेतु संपरिवर्तन करवाए बिना निर्माण कार्य करने लगे तथा न्यायालय के यथास्थिति मौके व राजस्व रिकार्ड में बनाए रखने हेतु आदेश की जानबूझकर अवहेलना की है, जबकि उक्त आदेश से अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 भलीभांति अवगत थे। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 188/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 के विवादित आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति की अवहेलना के लिए 3 माह के कारावास से दण्डित किया जाए तथा उक्त आदेश की पालना करने हेतु अप्रार्थीगण संख्या 1 व 2 की चल अचल संपत्ति कुर्क की जाए इसके बावजूद भी न्यायालय के आदेश की अवहेलना करने पर अप्रार्थीगण संख्य 1 व 2 की चल अचल संपत्ति निलाम कर अप्रार्थीगण को हुई क्षति हेतु उसकी पूर्ति की जावे।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने दौराने जवाब/बहस प्रार्थना पत्र में कथन किया कि न्यायालय द्वारा किए गए आदेश दिनांक 12.7.2022 की रेस्पोडेंट द्वारा किसी भी प्रकार की अवमानना नहीं की गई है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहे गए कथन झूठे है उनको सत्यापित करने के लिए प्रार्थी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज या कोई प्रमाण हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह प्रतीत हो की न्यायालय के आदेश की अवहेलना की गई है। सभी खातेदार काश्तकार अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्तकार है। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को इसी स्तर पर खारिज किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावे।

5. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा एक अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की गई है, जिसमें प्रकरण संख्या 188/2022 में पारित आदेश दिनांक 12.07.2022 की अप्रार्थी द्वारा पालना नहीं किए जाने से प्रार्थी द्वारा हाजा न्यायालय में उक्त प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 (क)(1) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 का प्रस्तुत किया। उक्त प्रार्थना पत्र में प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन व न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 12.7.2022 की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से अवहेलना की गई है। हाजा न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश पारित कर तहसीलदार, रूपनगढ को स्थगन तहरीर भी जारी की जा चुकी है। प्रार्थी द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, रूपनगढ के समक्ष किस प्रकार की सक्षम कार्यवाही की गई इस संबंध में प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट के साथ कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नही किया गया है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र कन्टेम्प्ट में कहे गए कथन से व प्रस्तुत दस्तावेजात से किसी भी प्रकार यह दृष्टिगत नहीं होता है कि अप्रार्थी द्वारा न्यायालय हाजा के आदेश की अवहेलना की गई हो। चूंकि प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र के संदर्भ में किसी भी प्रकार का कोई दस्तावेजी साक्ष्य हाजा न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है। जिससे यह प्रतीत होता हो की अप्रार्थी द्वारा किस प्रकार से राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बाबत परिवर्तन कर हाजा न्यायालय के आदेश दिनांक 12.7.2022 की अवहेलना की गई हो। अतः प्रार्थी द्वारा कहे गए कथन मौखिक है जिसमें किसी प्रकार की प्रमाणिकता नहीं पाई जाती है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 (क)(1) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किए जाने योग्य है।

6. अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 39 (क)(1) सपठित धारा 151 दीवानी प्रक्रिया संहिता 1908 खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

7. निर्णय आज दिनांक 04.12.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

04/12/2024

(रामचन्द्र)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner